

आदेश

कार्यवाही विवरण

20/9/21

पञ्जाबली पेश हुई। वादी एवं वादी के
 आदिबन्दा को बार-बार रकम-रकम
 कर भानाज लगवाई गई, परन्तु इनकी
 ओर से कोई भी दायिर आयात्मय
 नहीं देने से स्पष्ट होता है कि वादी
 को अपने वाद में कोई रकमी नहीं है।
 फलस्वरूप वाद वादी अदम दायरी एवं
 अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।
 पञ्जाबली फैसल सुमार होकर दर्जिनम्बर
 से कम हो तथा वाद लक्ष्मील जाह्या
 दाखिल दफ्तर है। निर्णय खुले आयात्मय
 में सुनाया गया।

ए. सी. इ. एम. (फा. दे.)
 नवलम्बर

